Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

# अप्रैल 2024

# साप्ताहिक करंट अफेयर्स

## योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

## 22/04/2024 से 28/04/2024 तक


**दिल्ली कार्यालय**

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

**नोएडा कार्यालय**

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

**मोबाइल नं. :** +91 8595390705

**वेबसाइट :** www.yojnaias.com

# साप्ताहिक करंट अफेयर्स

## विषय सूची


| क्रमांक | विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार | 1 - 5 |
| 2. | जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता | 6 - 10 |
| 3. | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) | 10 - 16 |
| 4. | भारत में स्वास्थ्य बीमा और जनसांख्यिकी | 16 - 20 |
| 5. | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस | 21 - 26 |
| 6. | CSDS की लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 | 26 - 29 |

# करंट अफेयर्स
# अप्रैल 2024

## जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार

**( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 एवं 3 के ' शासन व्यवस्था, जैव विविधता और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' जीवन का अधिकार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संरक्षण का अधिकार और मानवाधिकार, अनुच्छेद 51A(g), एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (2000), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार ' से संबंधित है।)**

### खबरों में क्यों ?

- भारत में जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के बीच के अंतर्संबंधों को जीवन के अधिकार के साथ जोड़कर एक विस्तृत चर्चा करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से संबंधित मामले के संबंध में आया है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भारतीय संविधान में वर्णित लोगों के जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समता का अधिकार (अनुच्छेद 19) के आधार पर दिया गया है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संरक्षण हेतु राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- इस निर्णय के माध्यम से, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन को मानवाधिकारों के साथ जोड़कर एक नई दिशा प्रदान की है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(g) के तहत नागरिकों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और **एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ केस में पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांतों** को रेखांकित करते हुए, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में

नागरिकों और राज्य की भूमिका को मजबूत करते हुए पर्यावरणीय न्याय का व्याख्या किया है।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के साथ, यह निर्णय भारत में जलवायु न्याय के लिए एक मजबूत आधार प्रस्तुत करता है।
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जलवायु परिवर्तन से बचाव का अधिकार और एक स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण का अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

## भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार बनाम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण का अधिकार क्या है?

### भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण का अधिकार निम्नलिखित है –

**जीवन और आजीविका का अधिकार :** जलवायु परिवर्तन चरम मौसमी घटनाओं के माध्यम से जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र के स्तर की वृद्धि से लोगों को अपने घरों और आजीविका से विस्थापित होने का खतरा है।

**स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच :** जलवायु परिवर्तन से जल स्रोतों पर असर पड़ता है, जिससे जल की कमी और प्रदूषण हो सकता है, जो स्वच्छ जल और स्वच्छता के अधिकार को प्रभावित करता है।

**स्वास्थ्य और कल्याण:** जलवायु परिवर्तन से गर्मी से संबंधित बीमारियाँ और मौतें बढ़ सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य का अधिकार प्रभावित होता है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भी इसका असर पड़ता है।

**प्रवासन और विस्थापन :** जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाएँ जैसे समुद्र के स्तर में वृद्धि और मरुस्थलीकरण से लोगों को पलायन करने या विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

**आदिवासियों के अधिकार :** जलवायु परिवर्तन से आदिवासी समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं पर असर पड़ता है, जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।

## संवैधानिक प्रावधानों के तहत जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय की वर्तमान व्याख्या का अर्थ/निहितार्थ :

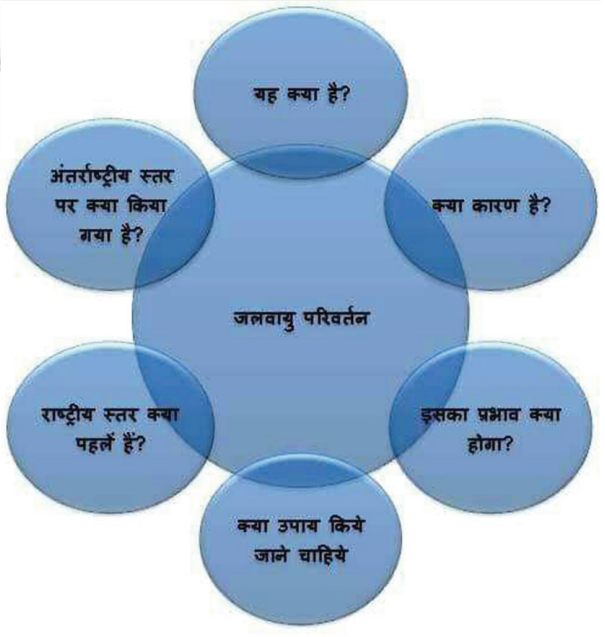

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 48A, और 51A(g) की व्याख्या करते हुए, इन्हें जीवन के अधिकार और समानता के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी है।
- एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ मामले में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का ही विस्तार है।
- हालिया निर्णयों में, न्यायालय ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को विशिष्ट अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जिससे भारत में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए कानूनी आधार मजबूत हुआ है।
- यह निर्णय जलवायु परिवर्तन पर निष्क्रियता के विरुद्ध कानूनी चुनौतियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन के मानवाधिकार आयामों की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के अनुरूप है।

## जलवायु परिवर्तन शमन को संतुलित करने की राह में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ :

**जलवायु परिवर्तन के साथ मानवाधिकार संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने की राह में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित है –**

1. **व्यापार-बंद :** जलवायु शमन उपाय और मानवाधिकारों के बीच टकराव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए – जलवायु संरक्षण परि-योजनाओं के लिए भूमि उपयोग पर प्रतिबंध या नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के कारण विस्थापन हो सकता है।
2. **संसाधनों तक पहुँच :** जलवायु गतिविधियाँ, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए ऊर्जा, जल, और भोजन जैसे आवश्यक संसाधनों को प्रभावित कर सकती हैं।
3. **पर्यावरणीय प्रवासन :** जलवायु – प्रेरित प्रवासन सामाजिक प्रणालियों पर दबाव डाल सकता है और साथ ही मेज़बान समुदायों में संसाधनों और अधिकारों पर संघर्ष का कारण बन सकता है।
4. **अनुकूलन बनाम शमन :** जलवायु प्रभावों के अनुकूलन में निवेश के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (शमन) को कम करने के

प्रयासों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

5. **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत :** जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है और इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जलवायु पहल विदेशों में कमज़ोर समूहों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करें।

## जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के समाधान की राह :

### जलवायु परिवर्तन से होनेवाले नकारात्मक प्रभावों के समाधान के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं –

- **मानवाधिकार-केंद्रित कार्बन मूल्य निर्धारण :** कार्बन टैक्स के जरिए एकत्रित राजस्व का उपयोग कर हम स्वच्छ ऊर्जा उपायों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, और विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन तथा शमन प्रयासों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- **हरित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण :** विकासशील देशों को किफायती दरों पर हरित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करके और उनके विकास के अधिकार से समझौता किए बिना हम उन्हें कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले विकास के मार्ग को अपनाने की अनुमति दे सकते हैं।
- **मानवाधिकार प्रभाव आकलन :** जलवायु परिवर्तन शमन या अनुकूलन रणनीतियों को लागू करने से पहले, उनके मानवाधिकार प्रभावों का पूर्ण आकलन करना चाहिए, जिससे संभावित जोखिमों की पहचान की जा सके और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

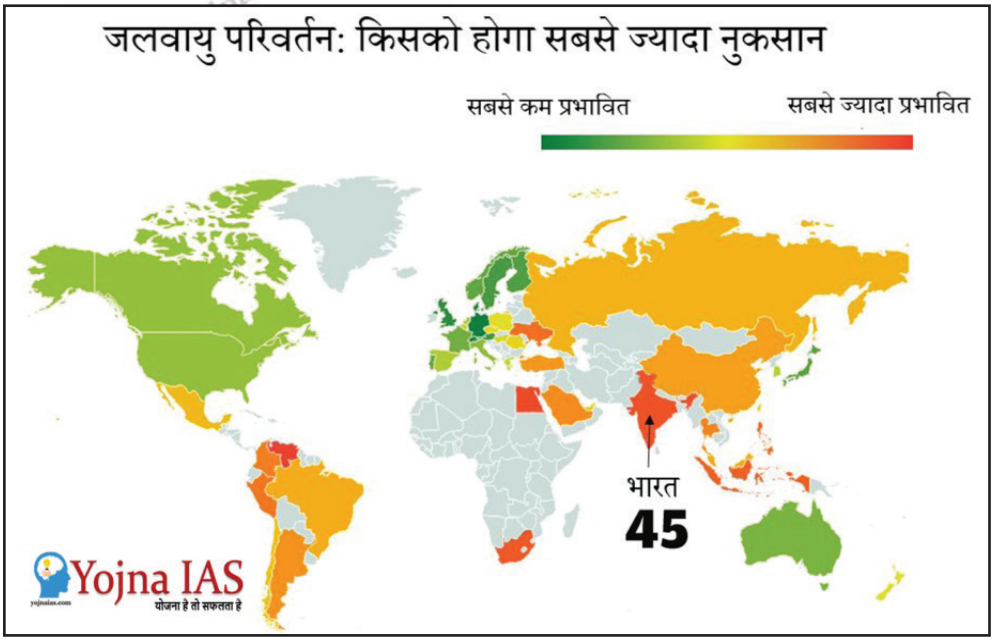

- मानवाधिकार-केंद्रित कार्बन मूल्य निर्धारण से, कम आय वाले परिवारों को ऊर्जा लागत के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए प्रगतिशील छूट या लाभांश प्रदान किया जा सकता है, जिससे न्यायपूर्ण परिवर्तन संभव हो। कार्बन टैक्स से प्राप्त राजस्व का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा पहलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, और विकासशील देशों के जलवायु प्रयासों के समर्थन में किया जा सकता है।
- हरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के अंतर्गत, विकासशील देशों को हरित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण किफायती दरों पर करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिसमें बौद्धिक संपदा के प्रतिबंधों में ढील देना या प्रौद्योगिकी साझेदारी स्थापित करना शामिल हो सकता है। इससे विकासशील देशों को उनके विकास के अधिकार को बिना समझौता किए कम कार्बन वाले विकास पथ को अपनाने की अनुमति मिलेगी।
- मानवाधिकार प्रभाव आकलन के माध्यम से, जलवायु परिवर्तन शमन या अनुकूलन रणनीतियों को लागू करने से पहले उनके मानवाधिकार प्रभावों का आकलन किया जा सकता है। इससे संभावित जोखिमों की पहचान में सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि समाधान ऐसे बनाए गए हैं जो मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करते हैं।

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**Q.1. जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव बनाम जीवन का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।**

1. जलवायु परिवर्तन से बचाव का अधिकार और एक स्वास्थ्यप्रद पर्यावरण का अधिकार नागरिकों का मानवाधिकार है।
2. एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ मामला स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है।
3. जलवायु परिवर्तन से जल जल की कमी और प्रदूषण हो सकता है, जो स्वच्छ जल और स्वच्छता के अधिकार को प्रभावित करता है।
4. उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय नागरिकों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के साथ -ही साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण से जुड़ा हुआ है।

**उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?**

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

**उत्तर – D**

## मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**Q.1. चर्चा कीजिए कि मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किस तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभवित करता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए।**

**( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )**

# जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता

**(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 – ' प्राचीन भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति और भारत में सामाजिक – सांस्कृतिक सुधार आंदोलन ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारत में सामाजिक – सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और जैन धर्म ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता ' से संबंधित है।)**

## खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 21 अप्रैल 2024 को भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर जयंती के शुभ अवसर पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है।
- भारत के प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की मूर्ति पर चावल और फूलों की पंखुड़ियों से श्रद्धांजलि अर्पित की और स्कूली बच्चों द्वारा भगवान महावीर के जीवन पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम "वर्तमान में वर्धमान" नामक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी देखी।
- इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है।

## महावीर जयंती का परिचय :

- महावीर जयंती, जैन समुदाय में सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह पर्व प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है।
- यह दिन वर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक है, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी बने थे।
- भगवान महावीर ने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और अस्तेय जैसे पंचशील सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का संदेश दिया।
- महावीर जयंती अहिंसा के इस महान संदेश को याद दिलाती है और लोगों को सभी प्राणियों के प्रति दयालु होने के लिए प्रेरित करती है।
- वस्तुतः महावीर जयंती पूरे विश्व के विभिन्न समुदायों को सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरित करती है।
- इस दिन को शांति और अहिंसा के संदेश को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है।

- इस दिन जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा भगवान महावीर की मूर्ति के साथ एक जुलूस निकाला जाता है जिसे **रथ यात्रा** कहा जाता है।
- इस अवसर पर स्तवन अथवा जैन प्रार्थनाओं का पाठ करते हुए भगवान की मूर्तियों का औपचारिक स्नान कराया जाता है जिसे **अभिषेक** कहा जाता है।

## भगवान महावीर का परिचय :

- जैन ग्रंथों और धार्मिक साहित्यों के अनुसार, भगवान महावीर का जन्म चैत्र माह (हिंदू कैलेंडर अनुसार) के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन वर्तमान बिहार के पटना से कुछ किलोमीटर दूर बिहार के कुंडलग्राम (अब कुंडलपुर) में हुआ था। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, महावीर जयंती आमतौर पर मार्च या अप्रैल महीने में मनाई जाती है।
- उस समय कुंडलग्राम वैशाली राज्य की राजधानी मानी जाती थी।
- महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर, भगवान महावीर के जन्म का उत्सव है। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में हुआ था।
- हालाँकि, महावीर के जन्म का वर्ष विवादित है। श्वेतांबर जैनियों के अनुसार, महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था जबकि दिगंबर जैन 615 ईसा पूर्व को उनका जन्म वर्ष मानते हैं।
- उनके पिता कुंडलग्राम के राजा सिद्धार्थ और उनकी माता जो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, रानी त्रिशला ने अपने पुत्र का (उनका ) नाम वर्धमान रखा था।
- **बचपन में भगवान महावीर का नाम वर्धमान था यानी – ' जो बढ़ता है '।**
- श्वेतांबर समुदाय की मान्यताओं के अनुसार, महावीर की मां ने 14 सपने देखे थे, जिनकी बाद में ज्योतिषियों ने व्याख्या की, जिनमें से सभी ने यह कहा कि महावीर या तो सम्राट बनेंगे या ऋषि (तीर्थंकर) बनेंगे।
- **जब महावीर 30 वर्ष के हुए, तो उन्होंने सत्य की खोज में अपना सिंहासन और परिवार दोनों का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में एक तपस्वी के रूप में 12 वर्षों तक निर्वासित जीवन जीते रहे।**
- **12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें 42 वर्ष की आयु में " कैवल्य " अर्थात "सर्वज्ञता या ज्ञान" की प्राप्ति हुई थी।**
- इस दौरान उन्होंने अहिंसा का प्रचार करते हुए सभी प्राणियों के प्रति श्रद्धा और दयालुता का व्यवहार किया।
- **उन्हें "महावीर" अर्थात (महान नायक) भी कहा जाता है।**
- **अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें ' जैन या जितेन्द्रिय ' भी कहा जाता है।**
- **उन्हें निर्ग्रन्थ भी कहा जाता है। जिसका अर्थ है – " जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है।**
- **उन्होंने पावा या पावापुरी ( वर्तमान पटना के पास ) में अपना पहला उपदेश दिया था।**
- **यह माना जाता है कि जब वर्धमान महावीर 72 वर्ष के थे, तब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई।**

## जैन धर्म क्या है ?

- जैन धर्म, जिसका नाम **'जिन'** शब्द से आया है, जिसका अर्थ है- **'विजेता'**
- अतः यह एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो आत्म-ज्ञान और आत्म-साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की शिक्षा देता है।
- **तीर्थंकर,** जिन्हें **'नदी निर्माता'** कहा जाता है, वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं जो जैन धर्म के अनुयायियों को इस सांसारिक जीवन

के प्रवाह से पार ले जाते हैं।

- जैन धर्म में अहिंसा को सर्वोच्च महत्व दिया गया है।
- **जैन धर्म के पांच महाव्रत हैं – अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), अपरिग्रह (गैर-आसक्ति), और ब्रह्मचर्य (शुद्धता)। इन व्रतों का पालन करके, जैन अनुयायी कर्मों के बंधन से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर होते हैं।**
- **जैन धर्म के तीन मुख्य सिद्धांत हैं – सम्यक् दर्शन (सही विश्वास), सम्यक् ज्ञान (सही ज्ञान), और सम्यक् चरित्र (सही आचरण)। इन्हें 'त्रिरत्न' भी कहा जाता है, जो जैन धर्म का मूलाधार हैं।**
- समय के साथ, जैन धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। **एक श्वेतांबर के रूप में, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, वहीं दूसरा दिगंबर के रूप में , जो नग्न रहते हैं, के रूप में विभक्त हो गया।**
- जैन धर्म के ही दोनों संप्रदाय जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन उनके अनुष्ठान और प्रथाएँ भिन्न- भिन्न होती हैं।
- जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि सभी जीवित प्राणियों को चोट न पहुँचाना चाहिए, जिसमें मनुष्य, जानवर, पौधे, और कीड़े तक शामिल हैं।
- जैन धर्म की मान्यता है कि पूरी दुनिया सजीव है, यहाँ तक कि पत्थरों, चट्टानों और पानी में भी जीवन है।
- **संथारा** की प्रथा जो जैन धर्म का ही हिस्सा है और **जिसे श्वेतांबर संप्रदाय संथारा** और **दिगंबर संप्रदाय सल्लेखना** कहते हैं, एक आमरण अनशन की प्रथा है जो जैन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
- **इस प्रथा को भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध घोषित करने के राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को निखिल सोनी बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी, और यह मामला अभी भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।**

## जैन धर्म की वर्तमान प्रासंगिकता और निष्कर्ष :

- जैन धर्म का उदय भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ और इसकी शिक्षाएँ आज भी विश्व भर में प्रासंगिक हैं।
- जैन धर्म के अनुयायी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के पांच महाव्रतों का पालन करते हैं। ये व्रत न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाजिक जीवन में भी एक आदर्श जीवन शैली की नींव के रूप में महत्वपूर्ण हैं।
- जैन धर्म की शिक्षाएँ व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं और समाज में अहिंसा और शांति के महत्व को बढ़ावा देती हैं।
- **जैन धर्म का मूल सिद्धांत- 'जियो और जीने दो' है, जो सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा की भावना को प्रोत्साहित करता है।**
- भगवान महावीर ने अपने अनुयायियों को असत्य और मैथुन त्यागने, लालच और सांसरिक वस्तुओं का मोह छोड़ने, हर प्रकार की हत्याएं और हिंसा बंद करने का संदेश दिया था।
- वर्त्तमान समय में भी उनके उपदेशों में विश्व की सभी समस्याओं का निराकरण करने की अनूठी क्षमता है।
- जैन धर्म के प्रसार में भगवान महावीर की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके उपदेशों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में लोगों को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को आत्म-साक्षात्कार की ओर अग्रसर किया है और एक अधिक समझदार और संवेदनशील समाज की नींव रखी है।
- इस प्रकार, महावीर जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव भर ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक भी है।
- जैन धर्म की शिक्षाएँ और भगवान महावीर का जीवन, उनकी शिक्षाएँ और उनके उपदेश आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी

कि उनके समय में थीं, भगवान महावीर का उपदेश आज भी संपूर्ण विश्व के लिए शांति और सद्भाव की दिशा में एक मार्गदर्शक प्रकाश पुंज की तरह हैं।

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**Q.1. भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में "स्थानकवासी" संप्रदाय का संबंध किससे है? (UPSC – 2018)**

A. बौद्ध मत / धर्म ।

B. जैन मत / धर्म ।

C. वैष्णव मत / धर्म ।

D. शैव मत/ धर्म।

**उत्तर – B**

**Q.2. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था/थे? ( UPSC – 2012)**

1. तप और भोग की अति का परिहार ।
2. वेद – प्रमाण्य के प्रति अनास्था ।
3. कर्मकांडों और बाह्य आडम्बरों का निषेध।

**निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें :**

A. केवल 1

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

**उत्तर – B**

**Q.3. अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? ( UPSC – 2009)**

A. बौद्ध धर्म ।

B. जैन धर्म ।

C. सिख धर्म।

D. वैष्णव धर्म ।

**उत्तर – B**

**मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

**Q.1. चर्चा कीजिए कि प्राचीन भारत में कठोर कर्मकांड, बलि – प्रथा और बहुदेववाद के दर्शन की अवधारणा पर आधारित वैदिक धर्म के बावजूद भी, छठी शताब्दी में भारत में एक मध्यममार्गी और एकेश्वरवादी विश्वास और दर्शन के विकास का मुख्य कारण क्या था और वर्तमान समय में वैश्विक शांति और सद्भाव के संदर्भ में जैन धर्म की क्या प्रासंगिकता है? तर्कसंगत विचार प्रस्तुत कीजिए।**

**(शब्द सीमा – 250 अंक -15)**

# राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

**(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, अर्ध – न्यायिक निकाय और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सांविधिक निकाय ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ' से संबंधित है।)**

## खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 19 अप्रैल, 2024 को नई दिल्ली में, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी , जिसमें देश के सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों ने भाग लिया।
- इस बैठक का उद्देश्य विशेषकर कमजोर और हाशिए के वर्गों के लिएमानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण पर चर्चा करना था।
- एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की और सभी आयोगों को संयुक्त रणनीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया।
- बैठक में विभिन्न पीड़ित मुआवजा योजनाओं के अध्ययन और उनकी स्थिति की समीक्षा पर जोर दिया गया, ताकि वे कानून के

अनुरूप हों।

- जस्टिस मिश्रा ने बताया कि देश में मजबूत कानून मौजूद हैं जो मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, और यह आवश्यक है कि सभी आयोग इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साथ मिलकर काम करें।
- इस बैठक में इस बात ओअर भी जोर दिया गया कि समाज के हाशिए पर रहने वाले संघर्षरत समुदायों या वर्गों, स्त्रियों आदि के लिए समानता और सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, और इसके लिए एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- इस बैठक में सेप्टिक टैंकों की यांत्रिक सफाई और एनएचआरसी की परामर्शों के पालन करने को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई।
- **इस बैठक में शामिल आयोगों में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग शामिल थे। इन आयोगों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है।**

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक में निम्नलिखित परिणाम सामने आए हैं –**

1. **प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संयुक्त रणनीतियाँ :** NHRC ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा कानूनों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संयुक्त रणनीतियाँ तैयार करने के लिए सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
2. **सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई :** NHRC ने सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई के महत्व पर भी जोर दिया और राज्यों तथा स्थानीय निकायों से इस मामले पर NHRC की सलाह का पालन करने का आग्रह किया।
3. **अनुसंधान हेतु सहयोग :** अनुसंधान के प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए सभी आयोगों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए।
4. **शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतियाँ :** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति और उभरती प्रौद्योगिकी का समान लाभ लोगों तक सुनिश्चित करने की चुनौती पर चर्चा की।
5. **बच्चों के अधिकार :** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग के सक्रिय कार्यों पर प्रकाश डाला।
6. **विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ :** विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने 'दिव्यांगजनों' के बीच

अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ संबंधित चुनौतियों की बढ़ोतरी पर चर्चा की।

7. **सहयोग का दायरा और संरचित दृष्टिकोण :** आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत की गई है। **'HRCNet पोर्टल'** का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जो पीड़ित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है ?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह आयोग भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा प्रदत्त मानवाधिकारों की रक्षा करता है।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है न कि संवैधानिक। यह आयोग देश में मानवाधिकार का मुख्य प्रहरी है।

## संरचना, नियुक्ति एवं कार्यकाल :

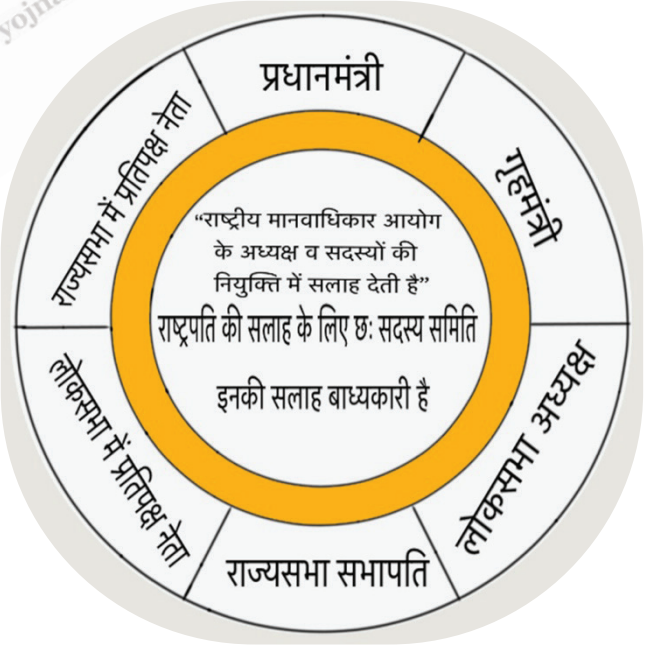

- **NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। इसके साथ ही इसमें पांच पूर्णकालिक सदस्य और सात मानद सदस्य होते हैं।**
- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।
- अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) अपने पद पर बने रहते हैं।
- इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।

## कार्य और भूमिका :

- NHRC की भूमिका मुख्यतः अनुशंसात्मक होती है।
- इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- यह आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर सकता है और इसके लिए वह केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाएं ले सकता है।
- यह किसी भी घटना के घटित होने के एक वर्ष के भीतर उस घटना या मामलों की जांच करने का अधिकार रखता है।

## संशोधन और विकास :

- भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को 2006 और 2019 में संशोधित किया गया, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्षमताओं और कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ।
- इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन या संस्था है।
- NHRC भारत में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की रक्षा करती है।

## राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में व्याप्त कमियाँ :

**वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में कुछ कमियाँ व्याप्त हैं, जो इसकी प्रभावशीलता को**

**प्रभावित करती है –**

**सिफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति :**

- NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और फिर सिफारिशें प्रदान करता है, किंतु यह संबंधित विभागों या अधिकारियों को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
- इसका प्रभाव विधिक के बजाय काफी हद तक नैतिक होता है।

**उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने में असमर्थता :**

- NHRC के पास उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है।
- यह सीमा इस आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देती है।

**सशस्त्र बल संबंधी मामलों में सीमित भूमिका होना :**

- सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में NHRC का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है।
- सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले अक्सर इस आयोग के दायरे से बाहर होते हैं। अतः सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में इसकी भूमिका सीमित होती है।

**मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी पुराने मामले में समय सीमाएँ :**

- NHRC एक वर्ष के बाद रिपोर्ट किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर विचार नहीं कर सकता है।
- यह सीमा पुरानी अथवा विलंबित मानवाधिकार शिकायतों का प्रभावी निपटान करने से रोकती है।

**संसाधनों की कमी :**

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास अत्यधिक संख्या में मामलों के निराकरण करने के लिए आना और उसके पास संसाधनों की सीमितता के कारण NHRC को जांच, पूछताछ और जन जागरूकता अभियानों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
- भारत के कई राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, वे इनके बिना ही कार्य कर रहे हैं और NHRC के ही सामान राज्य मानवाधिकार आयोग में भी कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी हुई है।

**स्वायतत्ता का अभाव:**

- NHRC की संरचना सरकारी नियुक्तियों पर निर्भर करती है। राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है, यह इस आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित भी करती है।

**सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता :**

- NHRC अक्सर शिकायतों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया देता है। निवारक उपायों और शीघ्र हस्तक्षेप सहित अधिक सक्रिय दृष्टिकोण इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।

## निष्कर्ष / समाधान की राह :

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कामकाज को सुचारू रूप संचालित करने और अत्यधिक दक्षता एवं त्वरित गति से निपटारे के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं –**

1. **अधिदेश का विस्तार :** नई चुनौतियों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक, और क्लाइमेट चेंज को समाहित करने के लिए

NHRC के अधिदेश को विस्तारित करना।

2. **प्रवर्तन शक्तियाँ :** NHRC को अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए दंडात्मक शक्तियाँ प्रदान करना, जिससे जवाबदेही और अनुपालन में सुधार हो।

3. **संरचना के स्तर पर सुधार करना :** नागरिक समाज, कार्यकर्ताओं, और विशेषज्ञों को NHRC के सदस्य के रूप में नियुक्त करके इसकी संरचना में विविधता लाना अत्यंत आवश्यक है।

4. **स्वतंत्र कैडर का विकास करना :** भारत में मानवाधिकारों में विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों का एक स्वतंत्र कैडर विकसित करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5. **राज्य आयोगों का सशक्तीकरण करना :** राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर उसका सशक्तिकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

6. **जन जागरूकता :** नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

7. **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करना :** भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग करना और उनकी प्रथाओं को सीख कर भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

इन कदमों से NHRC की प्रभावशीलता और जवाबदेही में सुधार हो सकता है, और यह भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन में और अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**Q.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ( UPSC – 2011)**

1. शिक्षा का अधिकार
2. सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार
3. भोजन का अधिकार

**उपर्युक्त में से कौन-सा/से "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?**

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 3

D. 1, 2 और 3

**उत्तर – D**

**Q.2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित/प्रतिबिंबित करता है? ( UPSC – 2020)**

1. प्रस्तावना

2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

3. मौलिक कर्तव्य

**नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:**

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

**उत्तर – D**

**मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

**Q.1. भारत में मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। इस संस्था के स्वायत्तता और प्रभावशीलता के लिए किस तरह के सुधारात्मक उपाय किए जा सकते हैं?**

**( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )**

**Q.2. चर्चा कीजिए कि यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध कारवाई करने में असफल क्यों रहे हैं ? इस आयोग की संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए इसमें सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए।**

**( UPSC CSE – 2021)**

# भारत में स्वास्थ्य बीमा और जनसांख्यिकी

**(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारतीय समाज, स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, मानव संसाधन, भारत की जनसांख्यिकी से संबंधित मुद्दे, भारत में बुजुर्ग आबादी के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' स्वास्थ्य बीमा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, विश्व स्वास्थ्य संगठन ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करेंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' भारत में स्वास्थ्य बीमा और जनसांख्यिकी ' से संबंधित है।)**

**खबरों में क्यों ?**

- भारत में स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में हालिया परिवर्तनों ने नागरिकों के व्यापक जनसांख्यिकी के लिए नई संभावनाएं खोली हैं।
- **हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** ने भारत में चिकित्सा बीमा पॉलिसी खरीदने की आयु सीमा को समाप्त कर दिया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु वर्गों के लिए बीमा से संबंधित कवरेज की पहुंच बढ़ी है।
- हाल ही में **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बंगलूरू** ने **'लॉन्गविटी इंडिया'** पहल की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य उम्र बढ़ने से

संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों पर शोध करना और बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समाधान तलाशना है।

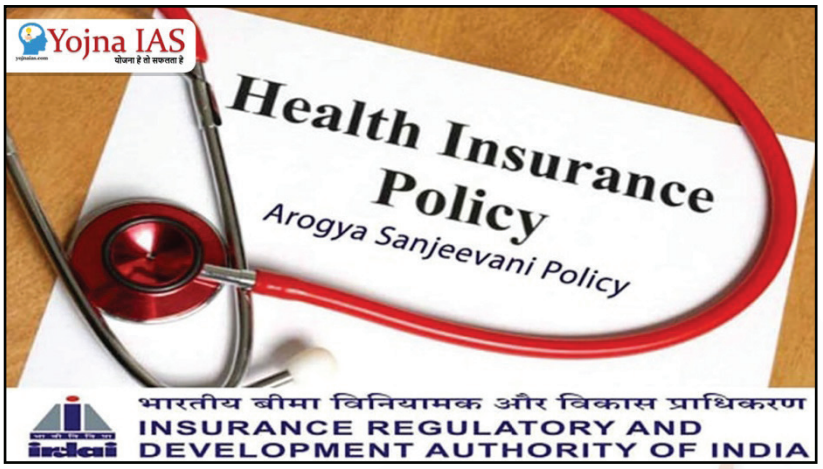


## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) क्या है ?

- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** भारत में बीमा उद्योग के नियमन और विकास के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संस्था तथा एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना **बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999** के तहत की गई थी।
- IRDAI का मुख्य उद्देश्य बीमा उद्योग को सुदृढ़ और स्थिर बनाना है, जिससे ग्राहकों के हितों की रक्षा हो सके और बीमा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके।
- IRDAI बीमा कंपनियों के लिए नियम और दिशा-निर्देश तय करता है, उनके वित्तीय स्थिरता की निगरानी करता है, और बीमा उत्पादों की मंजूरी देता है।
- बीमा अधिनियम, 1938 भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अधिनियम है। यह IRDAI को नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है, जो बीमा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं की निगरानी हेतु नियामक ढाँचा तैयार करता है।
- यह बीमा एजेंटों और ब्रोकरों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा नियमों को भी निर्धारित करता है।
- बीमा व्यापन और घनत्व में वृद्धि दर्शाती है कि भारतीय बीमा बाजार में गहराई और पहुँच बढ़ रही है।
- यह विकास बीमा उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय समावेशन के प्रति IRDAI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

## भारत में स्वास्थ्य बीमा के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नए दिशा – निर्देश :

- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, स्वास्थ्य बीमा के लिए आवेदन कर सकता है।
- इससे पहले, यह सुविधा केवल 65 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए सीमित थी।
- इस परिवर्तन से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों और मातृत्व से संबंधित जनसांख्यिकी के लिए विशेष बीमा उत्पादों की पेशकश की जा सकती है।
- बीमाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पूर्व-मौजूदा चिकित्सा स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए कवरेज प्रदान करें, जिसमें कैंसर या हृदयाघात जैसी गंभीर स्थितियां शामिल हैं।
- इन नीतियों से बीमा घनत्व और बीमा की पैठ में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे अधिक लोगों को बीमा का लाभ मिल सकेगा।
- बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान किस्तों में करने की पेशकश करने और यात्रा पॉलिसियों की पेशकश केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा करने की भी आवश्यकता है।
- इसके अलावा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसे आयुष उपचारों के लिए कवरेज में कोई सीमा नहीं है। ये नीतियां भारतीय स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती हैं।

## भारत में बुजुर्ग आबादी के समक्ष स्वास्थ्य बीमा से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ :

**भारत में बुजुर्ग आबादी के सामने स्वास्थ्य बीमा से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं –**

- **स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच का अभाव :** बुजुर्गों के लिए उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों तक सीमित पहुँच और उच्च चिकित्सा लागत के कारण, बुजुर्ग अक्सर आवश्यक देखभाल से वंचित रह जाते हैं।
- **पुरानी बीमारियों का प्रबंधन एवं महंगा होना :** उम्र से संबंधित बीमारियाँ जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग, और अर्थराइटिस बुजुर्गों में आम हैं। इनके प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ देखभाल की आवश्यकता होती है, जो कि अक्सर महंगी और दुर्लभ होती है।
- **दुर्व्यवहार और उपेक्षा का शिकार होना :** बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा एक गंभीर समस्या है। वित्तीय शोषण, शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के मामले आम हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और कल्याण पर प्रश्न उठता है।
- **डिजिटल विभाजन और ऑनलाइन सेवाओं और सूचनाओं तक पहुँचने में कठिनाई होना :** डिजिटलीकरण के इस युग में, भारत में बुजुर्गों को अक्सर ऑनलाइन सेवाओं और सूचनाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है, जिससे उन्हें अपने अधिकारों और सेवाओं का लाभ उठाने में बाधा आती है।
- **वित्तीय असुरक्षा का शिकार होना :** बुजुर्गों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। पेंशन और बचत की कमी के कारण, वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं।
- **सामाजिक अलगाव और अकेलापन :** भारत में वर्तमान समय के कुछ दशकों में पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव और नौकरी और रोजगार की तलाश में युवा पीढ़ी के पलायन के कारण बुजुर्गों को अक्सर अकेलापन और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कि अवसाद और चिंता उत्पन्न होती हैं।
- इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए सरकारी नीतियों, सामाजिक सहायता प्रणालियों, और तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता है। बुजुर्गों के लिए एक समावेशी और सहायक पर्यावरण बनाना आवश्यक है ताकि वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकें।

## निष्कर्ष / आगे की राह:

**भारत में बुजुर्ग आबादी के समक्ष स्वास्थ्य बीमा से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का समाधान और आगे की राह निम्नलिखित है –**

- **उम्र के अनुकूल बुनियादी ढाँचा का विकास करना :** बुजुर्गों की गतिशीलता और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए उम्र के अनुकूल बुनियादी ढाँचे का विकास आवश्यक है। इसमें रैंप, हैंडरेल्स, सुलभ परिवहन, और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल आवास शामिल हैं।
- **दुर्व्यवहार के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान करना :** बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कानूनों को मज़बूत करना और पीड़ितों के लिए सुलभ रिपोर्टिंग तंत्र की स्थापना करना जरूरी है।
- **सिल्वरप्रेन्योरशिप हब स्थापित करना :** वरिष्ठ नागरिकों के लिए सह-कार्यस्थल स्थापित करना, जो उन्हें उद्यमशीलता में सहायता प्रदान कर सकें।
- **वरिष्ठ लोगों के लिए प्रभावशाली सोशल मीडिया नेटवर्क को स्थापित करना :** तकनीक में कुशल वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करना और उन्हें सोशल मीडिया पर सक्रिय बनाना, जिससे वे अपनी पीढ़ी के लिए लाभकारी नीतियों का समर्थन कर सकें।

- **स्वास्थ्य बीमा की पात्रता में सभी को शामिल करना और सस्ता होना :** भारत में स्वास्थ्य बीमा की पात्रता को व्यापक बनाते हुए इसे किफायती और जो सभी उम्र के लोगों तक पहुँच संभव हो ऐसा बनाया जाना चाहिए।
- यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्त्तमान समय में भारत को अपने 'जनसांख्यिकीय लाभांश' का फायदा उठाना चाहिए और स्वास्थ्य बीमा की पात्रता को व्यापक बनाने के साथ-साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा का व्यापक उन्नयन भी होना चाहिए।
- इन पहलों के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल और स्वास्थ्य बीमा से संबंधित चुनौतियों का समाधान संभव है, जिससे उन्हें स्वस्थ और सम्मानजनक उम्र बिताने में मदद मिलेगी।

**स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।**

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. **भारत में स्वास्थ्य बीमा और जनसांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।**

1. लॉन्गविटी इंडिया पहल की शुरुआत IIT बंगलूरू ने की है।
2. भारत में स्वास्थ्य बीमा के नए नियम के अनुसार अब केवल 65 वर्ष तक के व्यक्ति ही इसमें आवेदन के पात्र हैं।
3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त तथा वैधानिक निकाय है।
4. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में बैंकों और शेयर बाजार सहित बीमा उद्योग के नियमन और विकास के लिए एक जिम्मेदार स्वायत्त संस्था है।

**उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?**

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1

D. केवल 3

**उत्तर – D**

## मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में बुजुर्गों के जीवन की स्वास्थ्य गुणवत्ता और उनके कल्याण में सुधार के लिए किस तरह की चुनौतियाँ विद्यमान है? उन चुनौतियों के समाधान के उपाय के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा सकती है ? तर्कसंगत सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक -15 )**

# राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

**(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के 'भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 'पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करेंट अफेयर्स' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' से संबंधित है।)**

## खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 24 अप्रैल 2024 को भारत के केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।
- केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में **" 73वें संविधान संशोधन के तीन दशकों के बाद ग्रामीण शासन की स्थिति "** पर चर्चा की गई।
- भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन हर वर्ष 24 अप्रैल को किया जाता है, जो संविधान के 73वें संशोधन की याद दिलाता है।
- इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने **'गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas-SWAMITVA) या स्वामित्व योजना के तहत ई-संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है।** जिससे ग्रामीण संपत्ति के मालिकाना हक को डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जा सके। इससे ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी और विकास के नए अवसर भी खुलेंगे।

## राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की पृष्ठभूमि :

- इस दिवस की शुरुआत भारत में सबसे पहले वर्ष 2010 में हुई थी, और यह 1992 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ को चिह्नित करता है, जिसने भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इस संशोधन ने ग्रामीण विकास और स्वशासन के लिए एक नई दिशा निर्धारित की थी।
- तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
- पंचायती राज प्रणाली ने ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी राय व्यक्त

करने और स्थानीय विकास में भागीदारी करने का अवसर मिला है।

- पंचायती राज प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और विकास और सशक्तिकरण का हिस्सा बनाकर उनके उत्थान में मदद की है।

## स्वामित्व योजना क्या है ?

- **स्वामित्व** (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण): यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।**
- इसका उद्देश्य गांव के निवास क्षेत्र के ग्रामीण घरेलू मालिकों को "अधिकारों के रिकॉर्ड"/संपत्ति कार्ड प्रदान करना है।
- इसमें विविध पहलुओं को शामिल किया गया है। संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा और बैंक ऋण को सक्षम बनाना; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना; व्यापक ग्राम-स्तरीय योजना।
- यह पंचायतों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल को और बढ़ाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी।

## पंचायतों का कार्यकाल :

- भारत में **पंच्यातों** का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
- प्रत्येक राज्य में **स्वतंत्र चुनाव आयोग** मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए होते हैं।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 243G** में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है।
- इन्हें **ग्यारहवीं अनुसूची** में वर्णित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- पंचायती राज व्यवस्था में छूट की व्यवस्था भारत के कुछ राज्यों में लागू नहीं होती है। जैसे नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
- **आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान**: ये राज्य पाँचवीं अनुसूची के तहत सूचीबद अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं।
- **मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र**: यहाँ पर जिला परिषदें मौजूद हैं।
- **पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग ज़िले के पहाड़ी क्षेत्र**:: इस क्षेत्र में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है।
- संसद ने पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के माध्यम से भाग 9 और 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के प्रावधानों को बढ़ाया है।
- भारत में वर्तमान में 10 राज्य (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना) पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल हैं।

## भारत में पंचायती राज संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास – क्रम :

- **पंचायती राज** भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इन संस्थानों को प्राचीन काल में "पंचायत" के रूप में जाना जाता था और ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे।

- **वैदिक युग** में पंचायत प्रणाली न्याय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी। ये पंचायतें ग्राम प्रधान और ग्राम समुदाय के चार अन्य सम्मानित सदस्यों से बनी होती थी, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा चुना जाता था।
- 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत में स्थानीय स्वशासन के आधुनिक रूपों की शुरुआत की, जो **पंचायती राज प्रणाली** पर आधारित थे।
- **भारतीय संविधान** के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
- **पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution)** को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। यह भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसका अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन। पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा, निगरानी कार्यों को एकीकृत करने के लिए वेब-आधारित पोर्टल **ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj)** लॉन्च किया है। इसमें एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन, स्थानीय सरकार निर्देशिका (Local Government Directory- LGD) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System- PFMS) के साथ ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की जाती है।

## भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

**पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के संवैधानिक प्रावधान भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली को स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं। यह प्रणाली भारतीय संविधान के भाग IX में उल्लिखित है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O(ओ) शामिल हैं।**

### 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं –

1. **त्रिस्तरीय प्रणाली :** ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद), पंचायत समिति (ब्लॉक परिषद), और जिला परिषद (जिला परिषद) शामिल हैं।
2. **जनसंख्या :** प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम स्तर पर कम से कम 500 व्यक्तियों की आबादी वाली पंचायत की स्थापना का प्रावधान है।
3. **चुनाव :** पंचायतों के नियमित चुनाव अनिवार्य हैं, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोजित किए जाते हैं।
4. **आरक्षण :** सभी स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होता है, साथ ही गाँव और मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद का भी आरक्षण होता है।
5. **राज्य वित्त आयोग :** पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें धन, सहायता अनुदान और करों के हस्तांतरण के लिए सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोगों के गठन का प्रावधान करना।शामिल होता है।
6. **शक्तियाँ और कार्य :** पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान करना, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और कृषि, कुटीर और लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।
7. **राज्य चुनाव आयोग :** भारत में तीन स्तरों पर स्थानीय सरकारों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है । जिसके तहत पंचायतों का विघटन और पंचायतों में आकस्मिक रिक्तियों को भरना और पंचायतों के अध्यक्षों या सदस्यों का निलंबन या निष्कासन करना शामिल होता है।

## भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :

**भारत में पंचायती राज संस्थानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं –**

1. **वित्तीय संसाधनों की कमी :** पंचायती राज संस्थानों के पास अक्सर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। इससे विकास परियोजनाओं को लागू करने और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।

2. **सीमित शक्तियाँ और कार्य :** पंचायती राज संस्थानों के पास सरकार के अन्य स्तरों की तुलना में सीमित शक्तियाँ और कार्य होते हैं, जो स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

3. **कमजोर क्षमता और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी :** कई पंचायती राज संस्थानों में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए क्षमता और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी होती है। इससे विकास परियोजनाओं की खराब योजना और कार्यान्वयन हो सकता है।

4. **महिलाओं और वंचित समूहों की सीमित भागीदारी :** पंचायती राज संस्थानों में अक्सर महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी का स्तर कम होता है, जो पूरे समुदाय की जरूरतों और हितों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।

5. **राजनीतिक हस्तक्षेप :** पीआरआई राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन हो सकते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

6. **जानकारी तक सीमित पहुंच :** पीआरआई के पास अक्सर जानकारी तक सीमित पहुंच होती है, जिससे जानकारीपूर्ण निर्णय लेने और विकास परियोजनाओं की योजना बनाने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।

7. **सरकार के अन्य स्तरों के साथ खराब समन्वय :** पीआरआई को सरकार के अन्य स्तरों के साथ समन्वय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो विकास परियोजनाओं को लागू करने और अपने समुदायों को सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

## भारत में पंचायती राज संस्थानों को कैसे मजबूत किया जा सकता है ?

**भारत में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। जो निम्नलिखित है –**

1. **वित्तीय स्थिति को मजबूत करना :** पीआरआई को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए संसाधनों और वित्तीय स्वायत्तता का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए।

2. **शक्तियों और कार्यों को बढ़ाना :** स्थानीय मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए पीआरआई को अधिक शक्तियां और कार्य देने चाहिए।

3. **पदाधिकारियों की क्षमता और प्रशिक्षण में सुधार :** पीआरआई पदाधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पंचायत नेतृत्व और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।

4. **महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देना :** महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी बढ़ाने के उपायों में सीटें आरक्षित करना और उन्हें प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना शामिल है।

5. **पीआरआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना :** राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए पीआरआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश की गई है।

6. **सरकार के अन्य स्तरों के साथ पीआरआई के समन्वय को बढ़ाना :** दूसरे एआरसी ने सरकार के अन्य स्तरों के साथ पीआरआई के समन्वय में सुधार करने के उपायों की सिफारिश की थी और यह सुनिश्चित किया कि उनकी विकास योजनाएं और परियोजनाएं सरकार के अन्य स्तरों के साथ संरेखित हों।

## निष्कर्ष / आगे की राह :

**पंचायती राज के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं –**

1. **फंडिंग और संसाधन बढ़ाएं :** स्थानीय सरकारों के लिए फंडिंग और संसाधन बढ़ाने से बुनियादी ढांचे और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

2. **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना :** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और स्थानीय सरकार के संचालन के बारे में जानकारी की पहुंच बढ़ाना।

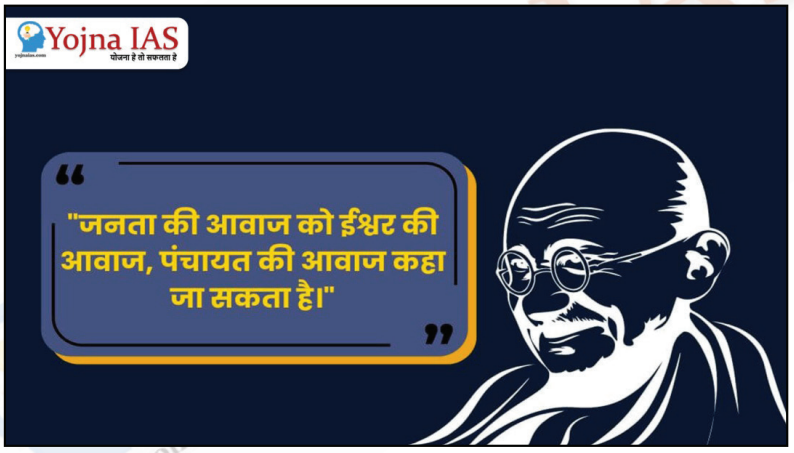


3. **पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना :** महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कोटा निर्धारित करना और महिलाओं को स्थानीय सरकार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना आवश्यक है ।

4. **भागीदारी में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना :** जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शामिल करने के लिए लक्षित पहुंच प्रयासों जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

**स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।**

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**प्रश्न.1. स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से कैसे समझाया जा सकता है? (UPSC – 2017)**

A. संघवाद

B. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

C. प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल

D. प्रत्यक्ष लोकतंत्र

**उत्तर – B**

**प्रश्न.2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ( UPSC 2016 & 2019 )**

1. किसी भी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य बनने के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
2. समयपूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही मान्य होती है।

**उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 और 2 दोनों

D. न तो 1 और न ही 2

**उत्तर – D**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिये आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- भारतीय संविधान की धारा 243E(4) के अनुसार, पंचायत की अवधि की समाप्ति से पहले एक पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करती है। **अत: कथन 2 सही है। इस प्रकार, विकल्प B सही उत्तर है।**

**मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

**प्रश्न.1. चर्चा कीजिए कि भारत में शासन के विकेन्द्रीयकरण के तहत स्थानीय शासन व्यवस्था के रूप में पंचायती राज प्रणाली का क्या महत्व और चुनौतियाँ है और इस व्यवस्था में व्याप्त चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।**

**( UPSC CSE- 2018 शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )**

**प्रश्न.2 .सुशिक्षित और संगठित स्थानीय स्तर की सरकारी प्रणाली के अभाव में, 'पंचायतें' और 'समितियाँ' मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाएँ बनी हुई हैं और शासन के प्रभावी साधन नहीं हैं। आलोचनात्मक चर्चा करें।**

**( UPSC CSE – 2015 शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )**

# CSDS की लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024

**(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली , भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समितियों की सिफारिशें ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय निर्वाचन आयोग, EVM, सच्चर आयोग रिपोर्ट ' खंड से संबंधित**

**है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' CSDS की लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 ' से संबंधित है।)**

## ख़बरों में क्यों ?

| मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या | |
|---|---|
| बेरोजगारी | 27% |
| महंगाई | 23% |
| विकास | 13% |
| भ्रष्टाचार | 8% |
| अयोध्या में राम मंदिर | 8% |
| हिंदुत्व | 2% |
| भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि | 2% |
| आरक्षण | 2% |
| अन्य उत्तर | 9% |
| पता नहीं | 6% |

Yojna IAS
yojnaias.com
योजना है तो सफलता है

सोर्स- सीएसडीएस-लोकनीति चुनाव पूर्व सर्वे

- भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में दलीय राजनीति के संदर्भ में 'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS)' के द्वारा हाल ही में लोकनीति कार्यक्रम द्वारा प्री-पोल स्टडी 2024 का आयोजन किया गया था , जिसमें EVM तथा भारत के चुनाव आयोग पर विश्वास एवं अन्य सामाजिक – धार्मिक मुद्दों जैसे विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है।
- इस सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 ने भारतीय राजनीति और भारत के समाज में व्याप्त चुनौतियों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इस सर्वेक्षण रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भारतीय दलीय राजनीति के संदर्भ में भारतीय जनता के विचारों को साझा किया है।

## CSDS की लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 क्या है ?

- **लोकनीति**, 1997 में स्थापित **सीएसडीएस** का एक अनुसंधान कार्यक्रम है। इसमें अनुसंधान पहलों का एक समूह है जो अनुभवजन्य आधार पर लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्मुख अध्ययन शुरू करके लोकतांत्रिक राजनीति पर राष्ट्रीय और वैश्विक बहस में शामिल होना चाहता है। चुनाव, लोकतांत्रिक राजनीति और दलीय राजनीति पर सीएसडीएस की विभिन्न परियोजनाओं को एक कार्यक्रम के तहत एक साथ लाकर, लोकनीति लोकतंत्र पर वैश्विक बहस में शामिल होना चाहती है। हालाँकि यह केंद्र में स्थित है, लेकिन इसे देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य अनुसंधान संस्थानों में स्थित विद्वानों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क से ताकत मिलती है। लोकनीति द्वारा किए गए सभी प्रमुख अध्ययनों की संकल्पना, संचालन और कार्यान्वयन इस नेटवर्क के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसने भारतीय विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान की परंपरा को मजबूत करने में योगदान दिया है।

## भारत की राजनीति में CSDS की लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के प्रमुख अध्ययन और उसका महत्व :

- **लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में भारत के मतदाताओं का विश्वास का कम होना:** भारतीय चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास कम हो गया है, और EVM में हेरफेर की संभावना को लेकर भी चिंता बढ़ी है।
- **भारतीय नागरिकों को धार्मिक बहुलतावाद के लिए समर्थन करना :** भारत के ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि भारत सभी धर्मों का देश है, जिससे धार्मिक सहिष्णुता और समरसता की प्रेरणा मिलती है।

- **अनुसूचित जाति वर्ग में मुस्लिमों को आरक्षण :** भारत की आम जनता का विचार है कि अनुसूचित जाति वर्ग में हिंदू और मुस्लिम दलितों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- **सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरूपयोग में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप :** केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए हैं, जिससे लोगों में आगे बढ़ते संविधानिक सिद्धांतों के प्रति चिंता बढ़ी है।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, मुद्रास्फीति और अन्य मुद्दे :** भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से रोजगार की न बढ़ने के बावजूद, मुद्रास्फीति और बढ़ती खाद्य कीमतें आम जनता को प्रभावित कर रही हैं।
- **अस्मिता की राजनीति :** धर्म राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है, जो सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है। राजनीतिक दल धार्मिक आधार पर मतदाताओं को लामबंद करते हैं, जिससे धार्मिक हिंसा और असहिष्णुता जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- इस रिपोर्ट से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों की महत्ता को बढ़ाया गया है, जिससे समाज में गहरे विचारों का संचार हो रहा है।
- यह भारत में सामाजिक न्याय की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए सच्चर आयोग रिपोर्ट, 2006 और रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट, 2007 द्वारा की गई सिफारिशों की भी पुष्टि करता है, जो दृढ़ता से दावा करता है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 को स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों के संबंध में फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति और समाज में विभिन्न मुद्दों पर गहरा विचार और कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके अलावा, चुनाव मशीनरी की सुरक्षा, सार्वजनिक संस्थानों के निष्पक्षता और आर्थिक स्थिति पर सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति विश्वास को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

## CSDS लोकनीति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के निष्कर्षों के आधार पर आगे की राह :

1. **चुनाव सुधार आयोग :** यह आयोग स्वतंत्र विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों और चुनाव अधिकारियों से बना हो सकता है। इसका काम चुनावी कानूनों, प्रक्रियाओं और संस्थानों में बदलावों की समीक्षा और सिफारिश करना होता है।
2. **केंद्रीय जाँच एजेंसियों की कार्यप्रणाली :** इन केंद्रीय निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति, स्थानांतरण और निष्कासन को विनियमित करने के लिए सभी जाँच एजेंसियों को एक ही वैधानिक निकाय के तहत लाया जाना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाँच के अधीन होना चाहिए और कार्यकाल को निश्चित करना चाहिए।
3. **समावेशी नीतियाँ बनाना :** भारत में सरकार को ऐसी नीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो हाशिये पर और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की जरूरतों और हितों को प्राथमिकता देती हैं। इसमें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने और सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता को आगे बढ़ाने की पहल भी शामिल है।
4. **मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को लक्षित करके कम करना :** सरकार द्वारा भारत में नीति – निर्माण के संदर्भ में व्यापक आर्थिक नीतियों, संरचनात्मक सुधारों, और लक्षित हस्तक्षेपों के संयोजन की आवश्यकता होगी। अतः सरकार को ब्याज दरों का समायोजन, कर निर्धारण, और शासकीय व्यय जैसे राजकोषीय नीति उपायों के माध्यम से कुल मांग और मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारकों को संतुलित करने की जरूरत है।
5. **रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और बेरोजगारी कम करने के लिए निरंतर एवं समावेशी उपाय खोजना :** भारत की अर्थ-व्यवस्था को निरंतर और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत में बेरोजगारी के मुद्दे को कम करने के लिए नौकरियों के अवसर बनाने की दिशा में कदम उठाना अत्यंत जरूरी है। अतः भारत में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने और बेरोज़गारी को कम करने के लिए निरंतर एवं समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है।

## प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**प्रश्न.1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ( UPSC – 2017)**

1. भारत का निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है।
2. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवाद निपटाता है।
3. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
4. भारत में सच्चर आयोग रिपोर्ट, 2006 भारत में सामाजिक न्याय की धर्मनिरपेक्ष राजनीति के लिए की गई सिफारिशों से संबंधित है।

**उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?**

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1 और 3
C. केवल 2 और 3
D. केवल 2 और 4

**उत्तर – D**

## मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

**प्रश्न.1. भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के चुनावों में उपयोगों के संबंध में चुनावों की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। ( शब्द सीमा – 250 अंक – 15 )**

Yojna IAS
yojnaias.com